भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार
एफ डी ए भवन, कोटला रोड़,
नई दिल्ली–110002
वेबसाइट: www.fssai.gov.in

फाइल नं0–15–10/जी0 ए0/2012–एफ एस एस ए आई दिनांक 3.12.2012

सेवा में,

अधिकरण के सभी सदस्य

विषयः 30 अक्टूबर, 2012 को एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

श्री/श्रीमती,

मैं, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 को एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्राधिकरण की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति प्रेषित कर रहा हूं।

सम्मान सहित,

भवदीय

ह./–

(कर्नल सी. आर. दलाल)
निदेशक (एस एवं ए)

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण
एफ डी ए भवन, कोटला रोड
नई दिल्ली – 110002

दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई के अध्यक्षता में दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 को 11.30 बजे भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) की 11वीं बैठक का आयोजन एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में किया गया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची संलग्नक में है। सदस्य जो बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें अवकाश की अनुमति दी गई।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और पिछली 10 बैठकों में लिए गए फैसलों से उन्हें अवगत कराया। यह बताते हुए कि 11वीं बैठक कुछ सदस्यों के लिए अंतिम बैठक होगी, उन्होंने कहा कि जैसे प्राधिकरण की 10वीं बैठक में फैसला हुआ था कि कुछ सदस्यों के लिए यह विदायी बैठक होगी, उसी प्रकार से यह बैठक भी अंतिम बैठक होगी।

अध्यक्ष ने सदस्यों से अपने प्रारम्भिक कथन में कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र मे 5 करोड़ से अधिक खाद्य व्यापार संचालक हैं इसलिए खाद्य संरक्षा मापदंडों का क्रियान्वयन तथा विज्ञान पर आधारित मानकों की स्थापना करना, एक विशाल चुनौती है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत खाद्य व्यापार संचालकों की संख्या संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यापार संचालकों की संख्या से कहीं अधिक है। प्राधिकरण के सामने कहीं अधिक बड़ी चुनौती है। प्राधिकरण तथा राज्य सरकारों द्वारा खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों के अलावा, खाद्य उत्पादकों के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों की स्थापना का कार्य प्राधिकरण को पहली बार सौंपा गया है। सदस्यों के ध्यान को इस कार्य के लिए आमन्त्रित करने हेतु, अध्यक्ष ने बताया कि मानक स्थापना का कार्य बहुत बड़ा है और प्राधिकरण विभिन्न खाद्य उत्पादकों के मानकों की स्थापना में शीघ्रता चाहता है। इस संबंध में उन्होंने अनुरोध किया कि प्राधिकरण के सदस्य अपनी प्रतिक्रिया दें, जैसा कि प्राधिकरण में उपभोक्ता संस्थान, कारखानों तथा कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, ताकि प्रत्येक की राय पर विचार विमर्श हो तथा अन्तिम रूप दिया जा सके।

अन्त में अध्यक्ष ने प्राधिकरण के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया तथा सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण को दिए सहयोग पर कृतज्ञता व्यक्त की।

मद सं. 1 : सदस्यों द्वारा रूचि का प्रकटीकरण

कार्यवाही के शुरू होने से पहले, बैठक में सभी मौजूद सदस्यों ने बैठक में विचार किया जाने वाले कार्यसूची मद के संबंध में "रूचि की विशिष्ट घोषणा" पर हस्ताक्षर किए।

मद सं. 2: दिनांक 20 सितंबर, 2012 को अयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्राधिकरण ने 20 सितंबर, 2012 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की दसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न परिवर्तनों के साथ की:

(i) अध्यक्ष ने मद सं. 4 तथा मद 20 के आधीन मामलों को निकाल दिया, जिन पर चर्चा होनी थी, जैसा कि उन्होंने इन मामलों के संबंध में सलाह दी थी। सदस्य इस पर सहमत हो गए और इन मामलों को निकालकर प्राधिकरण की दसवीं बैठक के कार्यवृत्त को अंतिम रूप दे दिया गया।

(ii) कार्यसूची मद सं. 1 में दी गयी चेतावनी 'चिकित्सीय सलाह के आधार पर प्रयोग' को 'चिकित्सीय सलाह के अंतर्गत प्रयोग' में परिवर्तित कर दिया और 'जहां तक संभव है' को मिटा दिया। लेबल पर पाठ्य अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में 'चिकित्सीय सलाह के अंतर्गत प्रयोग' पढ़ा जाना चाहिए।

(iii) कार्यसूची मद 10 में जैसा कि पुलुलन को एक नए खाद्य के रूप में पहचाना जाता है, इसका प्रयोग उत्पादक अनुमोदन धारा 22 की आवश्यकताओं के अंतर्गत अनुपालन के अनुसार होगा, को मिटा देना चाहिए, जैसा कि खाद्य प्राधिकरण पुलुलन को खाद्य योगात्मक के रूप में अनुमोदित कर रहा है। इसको वैज्ञानिक पैनल को संदर्भित कर दिया, जैसा कि यह वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के कार्यवृत्त से निकल कर आया था।

(iv) प्रोबायोटिक परिभाषा के आधार पर उठाए गए मामले को वैज्ञानिक पैनल को सौंप दिया जाएगा। प्रोबायोटिक संवर्धन की एक सूची जोड़ दी जाएगी।

अध्यक्ष ने अगली कार्यसूची मद की तरफ जाने से पहले कार्यवृत्त के अनुमोदन तथा परिचालन के लिए कार्यप्रणाली के मान्य तरीकों के संबंध में निश्चित प्रक्रियात्मक मामले उठाए। यह मामला इस तथ्य के कारण प्रकाश में आया कि पिछली बैठक (10वीं बैठक) के कार्यवृत्त, अनुमोदित बैठक के कार्यवृत्त प्राप्त करने के अनुक्रम और तरीके में स्पष्टता न होने के कारण सही समय पर वितरित नहीं हो पाए। अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रारूप कार्यवृत्त अधिनियम की धारा 17(4) का प्रयोग करके वितरित नहीं किए गए थे। अध्यक्ष, इसलिए यह चाहते थे कि इस प्राधिकरण के कार्यवृत्त से भविष्य के बारे में कुछ फैसला किया जाए, जैसा कि (1) प्रारूप कार्यवृत्त के अनुमोदन के लिए अनुक्रम तथा (2) क्या अधिनियम की धारा 17 (4) को प्रयोग में लाया जा सकता था तथा किसी भी कारणवश अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रारूप कार्यवृत्त को परिचालन से रोका जा सकता था। विचार विमर्श के बाद इस बात पर सहमति हो गयी कि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदत प्रारूप कार्यवृत्त को सदस्यों में परिचालित करना चाहिए। कैसे भी मामला हो जो प्रारूप कार्यवृत्त की विषय–वस्तु से संबंधित है, उसपर विचार विमर्श किया जाना चाहिए ताकि अगली बैठक में उनको अंगीकार किया जा सके। अध्यक्ष ने यह भी सलाह दी कि विधि मंत्रालय से कानूनी राय ली जा सकती है कि क्या अध्यक्ष से अनुमोदित प्रारूप कार्यवृत्त को धारा 17 (4) के अंतर्गत परिचालित होने से रोका जा सकता है। सदस्यों ने इस सलाह पर सहमति जतायी।

मद सं. 3: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने सी ई ओ की रिपोर्ट पढ़ी तथा खाद्य प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद खाद्य प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों से सदस्यों को संक्षेप में अवगत कराया। उन्होंने सदस्यों को केंद्रीय/राज्य लाइसेंसिंग कार्य, खाद्य संरक्षा प्रबंधन योजना तथा जांच के लिए लेखा परीक्षा निकायों तथा व्यक्तियों को प्राधिकृत करने के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।

उन्होंने खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों को खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की नियमावलियों, प्राधिकृत अधिकारियों हेतु नियमावलियों, खाद्य प्राधिकारियों के एसओपी'ज तथा खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य प्राधिकरण के खाद्य संरक्षा अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण/दिशानिर्देश कार्यक्रमों के बारे में सूचित किया। उन्होंने खाद्य प्राधिकरण को कीटनाशक अवशेषों के मामले में खाद्य प्राधिकरण द्वारा मानक निर्धारण तथा आयोजित कार्यशाला के बारे में सूचित किया। उन्होंने सदस्यों को आयात जांच पड़ताल की जोखिम प्रबंधन प्राथमिकताओं के बारे में सूचित किया।

कार्यावली मद सं. 1 : वैज्ञानिक पैनल/समितियों का नवीनीकरण

एक सदस्य ने सलाह दी कि उपभोक्ता संगठन के सदस्य को लेबल एवं दावा / विज्ञापन पैनल में शामिल किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों से कहा कि वैज्ञानिक पैनल / समिति के सदस्यों के रूप में सम्मिलित करने के लिए कुछ नाम सुझाएं।

खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य प्राधिकरण की वैज्ञानिक समिति तथा आठ वैज्ञानिक पैनलों के पुर्नगठन का अनुमोदन किया।

कार्यावली मद सं. 2: मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों के लिए पैनलों का गठन

खाद्य प्राधिकरण ने मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों के लिए प्रस्तावित पैनल का अनुमोदन किया।

कार्यावली मद सं. 3: खाद्य संरक्षा तथा मानक नियम, 2011 में संशोधन

खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य संरक्षा तथा मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.2 (1) (iii) (ख) में वर्णित प्रावधानों में संशोधन करते हुए, जो अगस्त, 2012 को समाप्त हो चुके थे और जिनको आगे की छूट छह महीने की अवधि तक बढ़ाना था, ताकि इस अवधि तक नामित अधिकारी के अधिकार का प्रयोग हेतु नामित अधिकारी पूर्णकालिक रूप से नियुक्ति हो जाए, प्रारूप अधिसूचना में संशोधन करने हेतु अनुमोदन को स्वीकार कर लिया गया।

खाद्य प्राधिकरण ने नियम 2.4.6 (1) में संशोधन के लिए प्रारूप अधिसूचना को भी अनुमोदित कर दिया जिसके अनुसार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट पर प्राप्ति के 30 दिन से घटाकर 7 दिन के भीतर अपील की जा सके और इसका भी अनुमोदन कर दिया कि नामित अधिकारियों द्वारा विशिष्ट प्रयोगशाला में नमूने भेजने की अवधि को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी जाए।

एक सदस्य ने सलाह दी कि अधिनियम में संशोधन पर निगरानी रखी जाए क्योंकि अधिनियम को लागू होने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि खाद्य प्राधिकरण ने राज्य सरकारों को आमंत्रित किया है ताकि उन प्रावधानों को बताया जाए जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता हो।

एक सदस्य ने सलाह दी कि खाद्य प्राधिकरण को मामल देखने के लिए विभिन्न हितधारकों का एक कार्यदल गठन करना चाहिए और इसे इसको तुरन्त आधार पर किया जाए।

कार्यावली मद सं. 4: खाद्य संरक्षा तथा मानक (पैकेजिंग तथा लेबेलिंग) विनियम, 2011

खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य संरक्षा तथा मानक (पैकेजिंग तथा लेबेलिंग) विनियम 2011 में संशोधन के लिए प्रारूप अधिसूचना को अनुमोदित कर दिया जिसके अनुसार लेबल पर लाइसेंस नंबर के साथ–साथ एफ एस एस ए आई के मोनोग्राम को लाइसेंस नंबर के ऊपर विनियम 2.2.1 के अनुसार प्रदर्शित किया जाए। एक सदस्य ने सलाह दी कि प्राधिकरण को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए कि कौन से लाइसेंस नंबर को लेबल पर छापना चाहिए।

कोई अन्य मदः

एक सदस्य ने सलाह दी कि योजनाओं की समय अवधि होनी चाहिए तथा इसका भी उल्लेख करना चाहिए कि कितने अधिक स्टाफ की जरूरत होगी ताकि प्राधिकरण के मामलों का शीघ्र अति शीघ्र निपटारा हो सके और प्राधिकरण सदस्यों के साथ नियमित आधार पर संपर्क हो सके।

बिहार सरकार को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने गुटखे पर प्रतिबंध लगाने के मामले को उठाते हुए कहा कि प्रतिबंध को धता बताकर निर्माता पान मसाले तथा तंबाकू को अलग–अलग बेच रहे हैं और इस पर स्पष्टीकरण चाहा कि इसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि एफ एस एस ए आई ने पान मसाले पर प्रतिबंध नहीं लगाया है तथा पान मसाले एवं तंबाकू को अलग–अलग बेचने पर प्रतिबन्ध नही है और ऐसे मिश्रण पर प्रतिबंध न होने पर कानून का तकनीकी रूप में उल्लंघन किया जा रहा है।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि खाद्य संरक्षा अधिनियम केवल खाद्य उत्पादों से जिसमें पान मसाला, जिसमें तबाकू का मिश्रण किया जाता है, भी सम्मिलित हैं, से व्यवहार करता है और अधिनियम ऐसे मिश्रण पर प्रतिबंध लगाता है, और उन मामलों में जिसमें पान मसाला तथा तंबाकू का प्रयोग अलग–अलग होता है तो ऐसे मामले को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के सामने अलग–अलग उठाना चाहिए क्योंकि तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण तथा प्रतिबंध अलग–अलग अधिनियम (द कन्ट्रोल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट (सीओटीपीए) के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम का न्यायीकरण खाद्य संरक्षा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता। प्राधिकरण ने खाद्य प्राधिकरण के पुनर्गठन की प्रगति पर विचार विमर्श किया। स्पष्ट किया गया कि एफ एस एस ए आई इस मामले में अग्रसर हैं तथा परिवार तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खाद्य प्राधिकरण के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर है।

एक सदस्य ने सलाह दी कि इसको अग्रिम रूप में किया जाना चाहिए और जब तक नए प्राधिकरण तैयार न हो, वर्तमान सदस्य कार्यरत रहें। सीयूओ ने सलाह दी कि यह पहले से नियम में है कि आपातकालिक स्थिति में अध्यक्ष अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अध्यक्ष का विचार था ऐसा केवल आपातकालिक स्थिति में ही हो सकता है दिन प्रतिदिन के कार्यो में नहीं। एक सदस्य ने सलाह दी कि अध्यक्ष को खाद्य प्राधिकरण के संरक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना होगा कि फैसलों को तुरंत लिया और क्रियान्वित किया जाए, चाहे वे अधिकारी उपस्थित न भी हो जिसको कुछ सदस्यों ने समर्थन दिया था।

अन्त में, सी ई ओ ने उन सभी सदस्यों जिन्होंने प्राधिकरण के कार्यों में कीमती सहयोग दिया, वे पद त्याग कर रहे थे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक – 1

दिनांक 20 सितंबर, 2012 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की दसवीं बैठक।

भागीदारों की सूची

सदस्यः

1. श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष
2. श्री एस.एन. मोहंती, सी ई ओ, एफ एस एस ए आई
3. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, नई दिल्ली
4. डा. जी. नारायण राजू, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली
5. श्री संजय कुमार (आईएएस), राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना
6. सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, अखिल भारतीय खाद्य संसाधक एसोसिएशन, नई दिल्ली
7. सुश्री वसुंधरा प्रमोद देवोधर, केयर/ऑफ मंम्बई ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, मुंबई
8. श्री बिजोन मिश्रा, एमआईएसआरए, ग्राहक प्रतिनिधि
9. श्री वी. बालासुब्रामणियम, प्राउन फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया, बैंगलोर

एफ एस एस ए आई, अधिकारी

1. श्री एस. दवे, सलाहकार, एफ एस एस ए आई
2. श्री एस.एस. घोनक्रोकटा, एफ एस एस ए आई
3. श्री धीर सिंह, निदेशक (क्यूए), एफ एस एस ए आई
4. श्री प्रदीप चक्रबर्ती, निदेशक (पीए), एफ एस एस ए आई
5. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स), एफ एस एस ए आई
6. सुश्री मीनाक्षी, वैज्ञानिक (मानक), एफ एस एस ए आई
7. श्री अनिल मेहता, डीडी (मानक), एफ एस एस ए आई
8. श्री आर.के. सक्सेना, डीडी, (जीए), एफ एस एस ए आई
9. श्री पी. कार्तिकेयन, एडी (क्यूए), एफ एस एस ए आई